उनवानः– गीता देवी बनाम सियाराम

मु0न0 –20 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः– 28.03.2023

मु0न0 20 / 2023

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गीतादेवी पत्नि ब्रम्हसिंह
2. ब्रम्हसिंह पुत्र मलुआराम

जाति गूर्जर निवासी जगदीशपुरा तहसील टोडाभीम।

(सायल)

बनाम

1. सियाराम पुत्र द्वारिका
2. रामहरि पुत्र द्वारिका
3. विष्णु पुत्र द्वारिका
4. कृष्ण कुमार पुत्र द्वारिका
5. रामदेई पुत्री द्वारिका
6. शांन्ति पुत्री द्वारिका
7. शिखा पुत्री केदार
8. सिद्वार्थ पुत्र केदार
9. रिचा पुत्री केदार
10. राजेश्वरी पत्नि केदार

जाति मीना निवासी महमदपुर तहसील टोडाभीम।

11. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री रामअवतार शर्मा एडवोकेट

निर्णय   दिनांक 29.08.2024

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम महमदुपर की आराजी ख0न0 1559 / 0.27 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 8 / 21 का खातेदार काश्तकार है। वकिया हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण / गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। ख0न0 1551 / 1.26 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 28 / 99, सायल न0 2 हिस्सा 1 / 11 का खातेदार काश्तकार है। वकिया हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण / गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। ख0न0 1560 / 0.48 है0 मे सायल न0 2 हिस्सा 2 / 3 का खातेदार काश्तकार है। वकिया हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण / गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। ख0न0 1550 / 0.62 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 11 / 49, सायल न0 2 हिस्सा 12 / 49 का खातेदार काश्तकार है। वकिया हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण / गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। ख0न0 1557 / 0.59 है0 मे सायल न0 1 हिस्सा 25 / 59 का खातेदार काश्तकार है। वकिया हिस्से के अन्य प्रतिवादीगण / गैरसायलान अपने–अपने हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है।

यह है कि उक्त आराजीयात सायलान एवं प्रतिवादीगण / गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है लेकिन कौन–कौन किस नम्बर पर काबिज है पता नही है। तथा आये दिन डौल मेढ को लेकर विवाद बना रहता है तथा रिकार्डेड बटवारा नही होने के कारण आपस मे

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बटवारे का पेश किया है जिसमे तय होना है कि सायल व गैरसायलान के हिस्से मे कौन–कौन से खसरा नम्बरान आये है। गैरसायलान वर्णित आराजीयात मे खातेदार होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया प्रकरण खातेदार होने से उभयपक्ष के हक मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन उभयपक्ष के हक मे साबित है।

3. **अपूर्तनीय क्षतिः– प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि सायलान व गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो ता दावा फैसल उभयपक्षकारान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

उक्त तीनो बिन्दुओ के विवेचन से सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः उभयपक्ष को ता दावा फैसला पाबन्द किया जाता है कि ग्राम महमदपुर की आराजी ख0न0 1559/0.27, 1551/1.26, 1560/0.48, 1550/0.62, 1557/0.59 मे एक–दूसरे के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी